कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 185 / /आउशि/छा./2019 भोपाल, दिनांक 8/2/19

प्रति,

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा
जबलपुर संभाग जबलपुर

विषयः– सत्र् 2018–19 में अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थियो को पी0एचडी शोध छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किये जाने हेतु बजट आवंटन करने के संबंध में ।

संदर्भः–आपका पत्र 2727/अति.संचा./लेखा–छात्र./18 दिनांक 5.11.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पी0एचडी शोध छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु मांग की गई है । अनुसूचित जाति के शोधार्थियों के लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने संबंधी नियमावली की कंडिका 3 एवं 4 के अनुसार संबंधित शोधार्थियां को स्वीकृति एतद द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार प्रदान की जाती है ।

क्र0	शोधार्थी का नाम	पंजीयन दिनाकं	अवधि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	नेहा सोनकर	20.11.16	दि.1.4.18 से 31.3.19 तक	1,92,000/–
2	श्यामू चौधरी	20.8.15	दि.1.4.18 से 19.8.18 तक	73,806/–
3	विजय कुमार अहिरवार	4.8.16	दि.1.4.18 से 31.3.19 तक	1,92,000/–
4	कमल कृष्णकुमार बेलिया	7.4.17	दि.1.4.18 से 31.3.19 तक	1,92,000/–
5	धर्मेन्द्र कुमार रैदास	3.9.15	दि.1.4.18 से 2.9.18 तक	81,067/–
6	मुकेश सिंह अहिरवार	28.7.16	दि.1.4.18 से 31.3.19 तक	1,92,000/–
7	रेणुका लारिया राज	18.8.15	दि.1.4.18 से 17.8.18 तक	72,774/–
(नौ लाख पिच्चानबे हजार छैः सौ सैत्तालीस रूपये मात्र)				9,95,647/–

उपर्युक्त छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगा :–

अनुसूचित जाति

मांग संख्या -- 44–उच्च शिक्षा –2202–सामान्य शिक्षा

(03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(103) – सरकारी कालेज ओर संस्थाऐं

(8855) – पीएचडी अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता

41 – छात्रवृत्ति एवं वृित्तियॉ 0103–41–002

निरंतर..2

उक्त स्वीकृति राशि संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर (म0प्र0) द्वारा छात्रवृत्ति के देयक कोषालय में प्रस्तुत कर आहरित करेगें एंव आहरित राशि का भुगतान संबंधित शोधार्थियो को कर शोधार्थियों से राशि प्राप्ति की हस्ताक्षर सहित पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब भेजेंगे साथ ही क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश/निर्देश के अनुक्रम में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें,अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वंय जिम्मेदार होंगे । शोधार्थी को छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है ।

(डॉ0 सुषमा दुबे)
संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा म0प्र0

पृ.क्रमांक/ 185 / /आउशि/छा/19 भोपाल,दिनांक 8/2/19

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल,म.प्र.
3. कुलसचिव,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश ।
4. कोषालय अधिकारी संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश ।
5. संचालक (बजट)उच्च शिक्षा,सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त राशियों को संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर के डी.डी.ओ.खाते के सर्वर में राशि लोड करें ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ की ओर इस आशय से कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।

संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा म.प्र.